



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 20 अगस्त, 2009

श्रावण 29, 1931 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1

संख्या : 1180/79-वि-1-09-1(क)12-2009

लखनऊ, 20 अगस्त, 2009

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने डा० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2009 पर दिनांक 19 अगस्त, 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2009 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

डा० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु)

उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2009

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, सन् 2009)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

डा० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु)

उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम डा० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

(2) यह 3 जुलाई, 2009 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश
अधिनियम
संख्या 1 सन्
2009 की धारा
32 का संशोधन

2-डा० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 32 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

“32-(1) विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा बनायी जाएगी।

(2) कार्यपरिषद नई या अतिरिक्त परिनियमावली बना सकती है या उप-धारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमावली को संशोधित या निरसित कर सकती है।

(3) कार्यपरिषद विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रार्थिति, शक्ति या उसके गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम के प्रारूप का प्रस्ताव तब तक नहीं करेगी जब तक ऐसे प्राधिकरण को उक्त प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया जाय और इस प्रकार व्यक्त कोई राय लिखित रूप में होगी और उसे सामान्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) प्रत्येक नया परिनियम या परिनियमावली में परिवर्धन या किसी परिनियमावली में कोई संशोधन या निरसन अनुमोदन हेतु सामान्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(5) कार्यपरिषद द्वारा पारित परिनियमावली कार्यपरिषद द्वारा उसको अनुमोदित किये जाने के दिनांक से या ऐसे पश्चात्पूर्वी दिनांक से जैसा सामान्य परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रभावी होगी।

(6) विद्या परिषद को किसी शैक्षणिक मामले पर परिनियम प्रस्तावित करने की शक्ति होगी।

(7) जहां कार्यपरिषद ने विद्या परिषद द्वारा प्रस्तावित किसी परिनियम के प्रारूप को अस्वीकार कर दिया हो, वहां विद्या परिषद कुलाध्यक्ष को अपील कर सकती है जो आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि प्रस्तावित परिनियम को सामान्य परिषद के अगले अधिवेशन के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाये और यह कि सामान्य परिषद के ऐसे अनुमोदन के लम्बित रहने तक यह ऐसे दिनांक से प्रभावी होगा जैसा कि उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये :

परन्तु यदि परिनियम का अनुमोदन सामान्य परिषद द्वारा ऐसे अधिवेशन में नहीं किया जाता है तो यह प्रभावी नहीं रह जायेगा।

(8) कार्यपरिषद द्वारा बनाये गये समस्त परिनियम सामान्य परिषद के समक्ष उसके अगले अधिवेशन में रखे जायेंगे और सामान्य परिषद को कार्यपरिषद द्वारा बनाये गये किसी परिनियम को संशोधित करने या उसे रद्द करने की शक्ति होगी।”

निरसन और
अपवाद

3-(1) डा० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2009 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश संख्या 2
सन् 2009

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

डा० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2009) का अधिनियम लखनऊ, उत्तर प्रदेश में विकलांगजन के लिये एक विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन करने के लिये किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 32 के अधीन कार्यपरिषद को परिनियमावली बनाने के लिये सशक्त किया गया था किन्तु कार्यपरिषद का गठन उक्त विश्वविद्यालय के नवसृजित विश्वविद्यालय होने के कारण और विश्वविद्यालय में अध्यापकों की अनुपलब्धता के कारण भी सम्भव नहीं था। विश्वविद्यालय की परिनियमावली के अभाव में अध्यापकों की नियुक्तियाँ भी सम्भव नहीं थीं। उक्त समस्या के समाधान हेतु यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके राज्य सरकार को विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली बनाने के लिये सशक्त किये जाने और कार्यपरिषद को नई या अतिरिक्त परिनियमावली बनाने और प्रथम परिनियमावली को संशोधित या निरसित करने के लिये सशक्त किये जाने की व्यवस्था की जाये।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उक्त विनिश्चय को तुरन्त कार्यान्वित करने के लिए विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 02 जून, 2009 को डा० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2009) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से
प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,
सचिव।

No. 1180(2)/LXXIX-V-1-09-1(ka) 12-2008

Dated Lucknow, August 20, 2009

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Dr. Shakuntala Misra Punarvas Vishwavidyalaya (Bhinnarupen Yogya Hetu) Uttar Pradesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2009 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 17 of 2009) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 19, 2009

**DR. SHAKUNTALA MISRA REHABILITATION UNIVERSITY (FOR DIFFERENTLY ABLED)
UTTAR PRADESH (AMENDMENT)
ACT, 2009**

(U.P. ACT No. 17 OF 2009)

[As Passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN
ACT

further to amend the Dr. Shakuntala Misra Rehabilitation University (For Differently Abled) Uttar Pradesh Act, 2009

IT IS HEREBY enacted in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Dr. Shakuntala Misra Rehabilitation Short title and
commencement

University (For Differently Abled) Uttar Pradesh (Amendment) Act, 2009.

(2) It shall be deemed to have come into force on July 3, 2009.

Amendment of
section 32 of U.P.
Act no. 1 of 2009

2. For section 32 of the Dr. Shakuntala Misra Rehabilitation University (For Differently Abled) Uttar Pradesh Act, 2009 hereinafter referred to as the principal Act the following section shall be *substituted* by namely :-

"32. (1) The First Statutes of the University shall be made by the State Government by notification in the *Gazette*.

(2) The Executive Council may make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1).

(3) The Executive Council shall not propose the draft of the any Statutes affecting the status, power or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing its opinion upon the proposal and any opinion so expressed shall be in writing and shall be submitted to the General Council.

(4) Every new Statutes or addition to Statutes or any amendment or repeal of a Statutes shall be submitted to the General Council for approval.

(5) Any Statutes passed by the Executive Council shall have effect from the day it is approved by the General Council are from such later date as may be specified by the General Council.

(6) The Academic Council shall have power to propose Statutes on any academic matter

(7) Where the Executive Council has rejected the draft of any statutes proposed by the Academic Council, the Academic Council may appeal to the Visitor, who shall by order, direct that the proposed statutes may be laid before the next meeting of the General Council for its approval and that pending such approval of the General Council it shall have effect from such date as may be specified in that order :

Provided that if any statutes is not approved by the General Council at such meeting, it shall cease to have effect.

(8) All statutes made by the Executive Council shall be placed before the General Council at its next meeting, and the General Council shall have the power to amend or cancel any statutes made by the Executive Council."

Repeal and
Saving

3. (1) Dr. Shakuntala Misra Rehabilitation University (For Differently Abled) (Amendment) Ordinance, 2009 is hereby repealed.

U.P.
Ordinance
no. 2 of 2009

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Dr. Shakuntala Misra Rehabilitation University (For Differently Abled) Uttar Pradesh Act, 2009 (U.P. Act no. 1 of 2009) has been enacted to establish and incorporate a university for persons with different abilities at Lucknow in Uttar Pradesh. Under section 32 of the said Act the Executive Council was empowered to make statutes but the constitution of the Executive Council was not possible for the reasons that the said University being a newly created University and also for the reason of non-availability of teachers in the University. The appointment of teachers was not possible in the absence of the statutes of the University. In order to solve the said problem it was decided to amend the said Act to provide for empowering the State Government to make the First Statutes of the University and for empowering the Executive Council to make new or additional Statutes and to amend or repeal the First Statutes.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, Dr. Shakuntala Misra Rehabilitation University (For Differently Abled) Uttar Pradesh (Amendment) Ordinance, 2009 (U.P. Ordinance no. 2 of 2009) was promulgated by the Governor on June 2, 2009.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
P.V. KUSHWAHA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी०-480 राजपत्र (हि०)-2009-(1006)-597 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी०-133 सा० विधायी-2009-(1007)-850 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।